

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 1972/साधा 12, 1894

No. 319]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 1972/ASADHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 3rd July 1972

S.O. 458(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 2622/18A/IDRA/69, dated the 25th June, 1969 read with the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2299, dated the 2nd July, 1970, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Om Parasakthi Mills Limited, Coimbatore had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 4th July, 1972:

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 4th July, 1974.

[No. F.11021/63/72-Tex(G).]

K. KISHORE, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1972

का० आ० 458(अ).—यतः भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 2299, दिनांक 2 जुलाई, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 2622/18ए/आई डी आर ए/69, दिनांक 25 जून, 1969 द्वारा ओम पराशक्ति मिल्स लि०, कोयम्बरूर के नाम से ज्ञात सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उपरिवर्णित अन्तिम आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 4 जुलाई, 1972 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध दो वर्ष की अवधि के लिए और बना रहना चाहिए।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित आदेश का प्रभाव 4 जुलाई, 1974 तक की अवधि के लिए, जिस में यह तारीख भी शामिल है, और बना रहेगा।

[सं० फा० 11021/63/72-टैक्स (जी)]

के० किशोर, संयुक्त सचिव।